GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2015/चैत्र 6, 1937

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 230

No. 38]

DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2015/CHAITRA 6, 1937

[N.C.T.D. No. 230

माग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 मार्च, 2015

फा. सं. 4(7)/श. वि./दि. श. आ. सु. बो./2010/563-580.—दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पार्षद (वार्ड-05) श्री किशन बंसीवाल को श्री देवेन्द्र सोलंकी, निगम पार्षद के स्थान पर, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के खण्ड (iv) के अन्तर्गत 6 जुलाई, 2016 या उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सदस्य के रूप में न रहने, जो भी पहले हो, तक के लिये दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का सदस्य नामांकित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एम.आर.एम. राव, विशेष सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT NOTIFICATION

Delhi, the 27th March, 2015

F. No. 4(7)/UD/DUSIB/2010/-563-580.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 (Delhi Act 07 of 2010), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate Shri Ram Kishan Bansiwal, Municipal Councillor (Ward No. 05) of North Delhi Municipal Corporation, in place of Shri Devender Solanki, Municipal Councillor under clause (iv) of sub-section (4) of section 3 of the said Act, as member in the Delhi Urban Shelter Improvement Board, Delhi for a period upto 06.07.2016 or till he ceases to be Member of the North Delhi Municipal Corporation, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor

of the National Capital Territory of Delhi

M.R.M. RAO, Spl. Secy.

1422 DG/15